11-11-24 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस पूर्व मे सुनी जा चुकी है। प्रार्थी का प्रा.पत्र अ.धा. 212 R.T.A का सिद्ध नही होने से खारीज किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जा कर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।

[signature]

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

प्रार्थना पत्र संख्या :– 133/2018

हेमराज पिता मुतबन्ना बजेराम जी जाति धाकड निवासी कंथारिया तह0 बेगूँ

बनाम

प्रार्थी

1. बजेराम पिता पेमा जी जाति धाकड निवासी कंथारिया तह0 बेगूँ
2. श्रीमान तहसीलदार साहब भूमिधारी जी तहसील कार्यालय, बेगूँ

विपक्षीगण

उपस्थित :– श्री कैलाश चन्द्र मंत्री
अधिवक्ता प्रार्थी
श्री तूफान सिंह चुण्डावत
अधिवक्ता विपक्षी

आदेश दिनांक :–11.11.2024

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि विपक्षीगण के विरूद्ध एक वाद पत्र घोषणा एवं बॅटवाडा का न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत किया गया है जिसके निस्तारण में समय लगेगा तक तक विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

यह कि ग्राम कंथारियां पटवार हल्का रामपुरिया तहसील बेगूँ में प्रार्थी एवं विपक्षी सं0 1 के पुश्तैनी स्वामित्व आधिपत्य एवं संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात निम्नलिखित स्थित है:–

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
156	0.1500
167	0.1100
168	0.2700
170	0.4400
172	0.1100
178	0.0700
315	0.3600
316	0.4900
368/276	0.2800
534/266	1.0800
योग कीता–10	3.3600 हैक्टर

यह कि प्रार्थी विपक्षी सं0 1 के सगे भाई देवालाल का प्राकृतिक पुत्र होकर विपक्षी सं0 1 का दत्तक पत्र है। विपक्षी संख्या 1 व विपक्षी संख्या 1 की पत्नी रामीबाई (प्रार्थी की दत्तक माता) ने दिनांक 10.06.2015 को प्रार्थी के पक्ष में एक गोद पत्र भी निष्पादित करवा उपपंजीयन कार्यालय बेगूँ में पंजीयन करवाया है।

यह कि उक्त कलम सं0 2 में वर्णित आराजीयात प्रार्थी एवं विपक्षी सं0 1 की पैतृक एवं संयुक्त कब्जे काश्त की होकर प्रार्थी का हित निहित है। विगत 6 माह से विपक्षीसं0 1 के मन में बदनियति आ जाने से प्रार्थी को परेशान कर रहा है एवं पैतृक सम्पत्ति से बेदखल करना चाहता है, जबकि प्रार्थी विपक्षी सं0 1 का दत्तक पुत्र होकर उसे कानूनन वे सम्पूर्ण हक अधिकार प्राप्त है जो एक जायिन्दा पुत्र को प्राप्त होते है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

यह कि विपक्षी सं0 1 ने दिनांक 12.07.2018 को विपक्षी सं0 1 को धमकी दी कि मै सम्पूर्ण कृषि आराजीयात को विक्रय कर दूंगा एवं तेरे कुछ नहीं रखूंगा तु दर दर की ठोकरे खायेगा एवं गॉव में कई लोगो से कृषि आराजीयात को विक्रय बाबत प्रस्ताव दे चुके है इस प्रकार प्रार्थी का प्रकरण प्रथम दृष्टया विरूद्ध विपक्षी संख्या 1 पूर्ण प्रमाणित है।

यह कि उक्त कलम सं0 2 में वर्णित आराजीयात पैतृक होने से प्रार्थी का इसमें विपक्षी सं0 1 के हिस्से का 1/2 हक हिस्सा बनता है। विपक्षी सं0 1 द्वारा दी जा रही धमकी अनुसार यदि भूमि को बिना विभाजन हस्तान्तरण कर देगें तो प्रार्थी को भारी अपूर्तनीय क्षति होगी एवं प्रार्थी के हक अधिकार खतरे में पड जायेगे। जिससे विपक्षी सं0 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा उक्त कलम सं0 2 में वर्णित भूमि को किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को खुर्द बुर्द नहीं किये जाने हेतु एवं विपक्षी सं0 1 को रेकार्ड में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किये जाने हेतु पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतःन्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमा उक्त कलम सं0 1 में वर्णित आराजीयात में विपक्षी सं0 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि को विपक्षी सं0 1 मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूप में रहन बेचान आदि रूप से हस्तान्तरित नहीं करें एवं विपक्षी सं0 2 राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन नहीं करें इस बाबत की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर वाद जॉच दर्ज किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी सं0 1 की ओर से मूल वाद में अधिवक्ता श्री तूफानसिंह द्वारा अपाना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए इस प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि प्रार्थना पत्र. प्रार्थी का गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 गलत होकर अस्वीकार है उक्त आराजी विपक्षी की पुश्तैनी स्वामित्व आधिपत्य एवं कब्जे काश्त की कृर्षि आराजीयात है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 गलत होकर अस्वीकार है विपक्षी ने कभी भी प्रार्थी को गोद नही लिया है उसने विपक्षी के भोलेपन का फायदा उठाकर उनकी जमीन हडपने को आमदा हो रहा है। प्रार्थी द्वारा विपक्षी को धोखे में रखकर जो लिखापढी करवाई है उसके विरूद्ध विपक्षी ने उक्त दस्तावेज निरस्तीकरण का वाद पत्र न्यायालय श्रीमान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीन महोदय जी बेगूॅ के समक्ष पेश कर रखा है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 4 गलत होकर अस्वीकार है। विपक्षी ने कभी भी प्रार्थी को गोद नहीं लिया है विपक्षी के पुत्रिया है जो अपने ससुराल रह रही है। चरण सं. 5 गलत होकर अस्वीकार है उक्त प्रार्थना वर्णित कृर्षि आराजी विपक्षी की पुश्तैनी आराजी है जो उसे अपने पिता से प्राप्त हुई है जिसका वो एक मात्र खातेदार होकर स्वामी है उसके बाद उसकी पुत्रिया उक्त आराजीयात की हकदार होगी। प्रार्थी का उक्त आराजी में कोई हक अधिकार नहीं है।

यह कि प्रार्थना की चरण सं. 6 गलत होकर अस्वीकार है प्रार्थी का कोई हिस्सा विपक्षी की आराजी में नहीं है। उक्त प्रार्थना वर्णित कृषि आराजी विपक्षी की पुश्तैनी आराजी हैजो उसे अपने पिता से प्राप्त हुई है जिसका वो एक मात्र खातेदार होकर स्वामी है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि विपक्षी का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के बाद प्रार्थना पत्र 212 राज0 काश्त0 अधि0 पर वहस उभयपक्ष की ध्यानपूर्वक सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र अनुसार निवेदन करते हुए कहा कि प्रार्थी बजेराम का दत्तक पुत्र है (रजिस्टर्ड गोदनामा) हेमराज के विरूद्ध सिविल न्यायालय में दावा कर रखा है गोदनामा निरस्त करने का। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को पाबंद फरमाया जावें।

वहस में विपक्षी अधिवक्ता द्वारा निवेदन अपने जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार किया जाकर कहा कि प्रार्थी ने धोखे में रख कर जमीन हडपने के लिए लिखा पढी करवाई है उसके विरूद्ध न्यायालय में निरस्तीकरण का दावा किया गया है, यह प्रोपर्टी प्रार्थी को नहीं मिल सकती है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। बहस उभयपक्ष की सुने जाने के उपरान्त पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु मुख्य तीन बिन्दुओ पर निस्तारण किया जाना होता है जो दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार निम्न प्रकार से किया जाता हैः—

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

1- प्रथम दृष्टया मामला :-

इस प्रार्थना पत्र पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा कंथारिया प.ह. रामपुरिया सम्वत 2070 से 2073 की प्रस्तुत की है जिसका अवलोकन हमारे द्वारा किया गया जमाबंदी में दर्ज आराजी संख्या 156, 167, 168, 170, 172, 178, 315, 316, 368/276, 534/266 कीता-10 कुल रकबा 3.3600 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री देवा, बजेराम पिता पेमा धाकड दर्ज अंकित है। नकल जमाबंदी मौजा कंथारिया की पेश की है जिसमें दर्ज उपरोक्त कृषि आराजी के खातेदार श्री पेमा पिता मोला धाकड दर्ज अंकित है, इस प्रकार प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजी विपक्षी बजेराम की पुश्तैनी आराजी है, पत्रावली में प्रस्तुत एक गोदनामा जो कि बजेराम द्वारा प्रार्थी हेमराज के पक्ष में निष्पादित करते हुए उसे पंजीकृत कराया गया है, जिसको निरस्त कराने का वादपत्र सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि बजेराम विपक्षी वर्णित कृषि आराजी के खातेदार है, तथा उक्त कृषि आराजी में निष्पादित किये गये गोदनामा को निरस्त कराये जाने की कार्यवाही चल रही है, ऐसी स्थिती में खातेदार बजेराम को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाना न्यायसंगत नहीं होता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

2- सुविधा का सन्तुलन :-

मौजा कंथारिया प.ह. रामपुरिया सम्वत 2070 से 2073 की प्रस्तुत की है जिसका अवलोकन हमारे द्वारा किया गया जमाबंदी में दर्ज आराजी संख्या 156, 167, 168, 170, 172, 178, 315, 316, 368/276, 534/266 कीता-10 कुल रकबा 3.3600 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री देवा, बजेराम पिता पेमा धाकड है, जिनका कब्जा व काश्त उक्त कृषि आराजी पर होकर इस कृषि आराजी का वे उपयोग उपभोग कर रहे है, प्रार्थी उनके पक्ष में निष्पादित गोदनामा के आधार पर उक्त कृषि आराजी में अपना अधिकार होना बताते है जबकि उक्त पंजीकृत गोदनामा को निरस्त कराये जाने की कार्यवाही स्वयं बजेराम द्वारा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत की हुई है जो विचाराधीन है। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नही होता है।

3- अपूर्तनीय क्षति :-

मौजा कंथारिया प.ह. रामपुरिया सम्वत 2070 से 2073 की प्रस्तुत की है जिसका अवलोकन हमारे द्वारा किया गया जमाबंदी में दर्ज आराजी संख्या 156, 167, 168, 170, 172, 178, 315, 316, 368/276, 534/266 कीता-10 कुल रकबा 3.3600 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री देवा, बजेराम पिता पेमा धाकड है,प्रार्थी उक्त कृषि भूमि के खातेदार नहीं है, प्रार्थी/वादी द्वारा न्यायालय मे प्रस्तुत उक्त कृषि आराजी की घोषणा एवं बंटवारा कराये जाने का वाद भी विचाराधीन है। जब प्रार्थी उक्त कृषि आराजीयात के खातेदार ही नहीं है तो उन्हें इस कृषि में कोई आर्थिक क्षति होना सिद्ध नहीं होता है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र निस्तारण में मुख्य तीनों ही विन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं हुए है, जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सिद्ध नहीं होने से एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 11.11.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)वेगूँ